**जबलपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय**

1688. **श्री राघवजी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1997 में भूकम्प के कारण मध्यप्रदेश के जबलपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय को भारी क्षति पंहुची थी; यदि हां, तो कितनी अनुमानित क्षति हुई थी;

(ख) उपरोक्त क्षतिग्रस्त विश्वविद्यालतय के पुर्ननिर्माण अथवा व्यापक मरम्मत कार्य में कुल कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ग) उक्त कार्य के संबंध में अब तक कितनी धनराशि पहले ही व्यय की जा चुकी है और इसमें सरकार की कितनी भागीदारी रही; और

(घ) शेष कार्य में सरकार का योगदान कितना होगा; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल):** (क) जी हां, 1997 में जबलपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय को भूकम्प के कारण भारी क्षति पंहुची थी। इस कार्य के लिए गठित समिति के अनुसार क्षति की अनुमानित लागत 4.50 करोड़ से 5.00 करोड़ रुपये के लगभग है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा क्षति का आकलन करने के लिए गठित समिति के अनुसार मरम्मत पर खर्च होने वाली अनुमानित राशि 4.50 करोड़ से 5.00 करोड़ रुपये है।

(ग) अब तक 2.00 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है जिसमें से राज्य सरकार का अंश 1.50 करोड़ रुपये है तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अंश 0.50 करोड़ रुपये है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस कार्य के लिए 1.00 करोड़ रुपये की राशि और देगी।

**"ड्रिप" सिंचाई के लिए मध्य प्रदेश का वर्गीकरण**

1689. **श्री राघवजी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "ड्रिप" सिंचाई के लिए मध्य प्रदेश को "ग" श्रेणी में रखा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए मानदण्ड और औचित्य क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने अपने राज्य को "ख" क्षेणी में रखने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब भेजा गया था और इस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल):** (क) जी, हां।

(ख) चूंकि ड्रिप विनिर्माता जागरूकता के स्तर, राज्य की फैक्टरी से निकटता, परिवहन में शामिल दूरी, राज्य में ड्रिम सिंचाई की क्षमता और राज्य में लगाए गए करों के कारण घटकों के मूल्य हर राज्य में अलग-अलग होने के वजह से देशभर में ड्रिम प्रणाली समान मूल्य पर उपलब्ध करवाने में असमर्थ थे अतः देश को तीन श्रेणियों यथा क, ख एवं ग में बांट दिया गया। चूंकि सरकार द्वारा यह स्कीम आरंभ करते समय, मध्य प्रदेश में ड्रिप सिंचाई क्रियान्वित करने में जागरूकता का स्तर बहुत नीचा था, इसलिए राज्य को "ग" श्रेणी में रखा गया।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य को श्रेणी "ख" में रखने का अनुरोध करते हुए जनवरी, 1997 में एक प्रस्ताव भेजा था। मध्य प्रदेश सरकार को सूचित किया गया कि राज्यों के पुर्नवर्गीकरण से संबंधित प्रस्ताव को एक समिति द्वारा जांच-पड़ताल की जाएगी जिसका गठन ड्रिप सिंचाई प्रणाली के मूल्य ढांचे की समीक्षा के लिए किया गया है। राज्य सरकार को यह भी जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश के किसान अपनी सुविधानुसार, कहीं से भी ड्रिप प्रणाली खरीद सकते हैं। समिति की अन्तिम रिपोर्ट के शीघ्र ही मिलने की आशा है।

**कृषि गत बुनियादी ढांचे में निवेश किया जाना**

1690. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि विशेषज्ञों ने सरकार से कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे में और अधिक निवेश करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कृषि संबंध बुनियादी ढांचे में कुल कितना निवेश किया गया है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या बुनियादी ढांचे संबंधी निवेश में वृद्धि किए जाने की संभावना है; और